छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 163/2006

श्री पदम कुमार जैन, बी–501, अशोक रत्न, न्यू विधानसभा मार्ग, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	**अपीलार्थी**
	विरूद्ध	
जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	**प्रतिअपीलार्थी**

:: आदेश ::

(25 जुलाई 2006)

श्री पदम कुमार जैन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(3) के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक **24–03–2006** के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने आवेदन पत्र दिनांक **30–12–2005** के द्वारा जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से देना बैंक में एकाउंट की प्रति चाही थी, जिसमें भवन आबंटित करने हेतु आवेदकों के आवेदन पत्र शुल्क एवं पुरैना एच.आई.जी. योजना के अंतर्गत किस्त दिनांक **25–01–2005** से **30–11–2005** तक की जानकारी हो। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी निर्धारित अवधि में न दिये जाने के फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को अपील प्रस्तुत की गई, जो कि सुनवाई हेतु **21–03–2006** को नियत थी। नियत दिनांक को आवेदक ने लिखित तर्क अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलीय अधिकारी ने दिनांक **24–03–2006** को बिना आवेदक की सुनवाई किये आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई।

मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदक ने देना बैंक एकाउंट जिसमें कि पुरैना एच.आई.जी. योजना के आवेदकों के आवेदन शुल्क जो उन्हें भी जानकारी है वह चाही थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को 508/– रूपए (पांच सौ आठ) जमा कराने हेतु सूचित किया गया। आवेदक के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आवश्यक निर्धारित राशि जमा

नहीं कराने के कारण बैंक एकाउंट की प्रति नहीं दिये जाने का तर्क दिया, अपील अस्वीकार की। बाद में अपीलार्थी को मांगी गई जानकारी प्रदान की गई।

चूंकि अपीलार्थी को जानकारी प्रदान कर दी गई है एवं पूर्व में अपीलार्थी के द्वारा आवश्यक राशि जमा नहीं कराने के कारण जानकारी नहीं दी गई थी। यह अवश्य है कि अपीलार्थी को आवश्यक राशि जमा करने के लिए निर्धारित अवधि के अंदर सूचित किया जाना था। अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त हो गई है तथा वह संतुष्ट है, अतः प्रतिअपीलार्थी पर अर्थदण्ड दिये जाने का आधार नहीं है। प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने आदेश जारी करते समय 25—03—2006 को प्रस्तुत अभिलेख 24—03—2006 के आदेश में किया है, यह लिपिकीय त्रुटि बतलाई गई है, अतः उन्हें सचेत किया जाता है कि भविष्य में आदेश पारित करते समय सतर्कता बरतें। उक्त निर्देश के साथ अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त